पत्रांक–1289 अधिनियम, वाद

सं0–563

आदेश की क्रम सं. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

पतवा देवी पति स्व0 रतन पासवान पिता स्व0 जानकी दुसाध, निवास स्थान ग्राम–बैहरी, पोस्ट–ओरिया, थाना–मुफस्सिल, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–गुडवा, थाना नं0–239, खाता संख्या–81 प्लॉट संख्या–302, रकवा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि रवि कुमार पिता शम्भु राम, निवास स्थान मटवारी, हजारीबाग थाना–कोर्रा, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र एवं भूमि संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-339/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1915/रा0 दिनांक 03.06.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1289 दिनांक 05.07.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इश्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत चेतलाल गोडायत वगै0 हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 8.49 एकड़ भूमि है। पंजी–II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 1.5750 एकड़ भूमि है। पंजी–II के पृष्ठ संख्या-44/IV पर ऑनलाईन में रतन दुसाध के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021–22 तक निर्गत् है। आवेदिका के पति जमाबंदी रैयत हैं। पूर्ण भूमि आवेदिका की है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 1.5150 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू–अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित

अनुसूची–14 फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
	सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है। प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में पतवा देवी पति स्व0 रतन पासवान पिता स्व0 जानकी दुसाध, निवास स्थान ग्राम–बैहरी, पोस्ट–ओरिया, थाना–मुफस्सिल, जिला–हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–गुडवा, थाना नं0–239, खाता संख्या–81 प्लॉट संख्या–302, रकवा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि रवि कुमार पिता शम्भु राम, निवास स्थान मटवारी, हजारीबाग थाना–कोर्रा, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.07.08 17:05:09 +05:30
Location: 192.168.0.101